न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–44 / 2024
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–23.07.2024
निर्णय दिनांक–27.11.2025

मनभर देवी पत्नि गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री छीतरलाल प्रजापत एड0
श्री विवेक चौधरी एड0
अप्रार्थी–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

आवेदन बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 194 रकबा 0.6575 हैक्ट. वाके ग्राम मोहनाबाद, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थिया का घरेलू नाम गलखू दर्ज है, जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम मनभर देवी है, जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थिया की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के गलत नाम गलखू पत्नि गोपाल के स्थान पर मनभर देवी पत्नि गोपाल दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थिया का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड सभी में मनभर नाम ही दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम गलखू दर्ज होने से उसे के.सी. सी. बनाने, सरकारी सहायताओ से वंचित होना पड रहा है। इस कारण प्रार्थिया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज घर का नाम गलखू के स्थान पर मनभर अंकित कराना चाहती है। प्रार्थिया का घरेलू नाम गलखू है और वास्तविक नाम मनभर है। दोनो ही नामो से प्रार्थिया को जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मोहनाबाद, पटवार हल्का पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

के राजस्व रिकॉर्ड में ख0न0 194 रकबा 0.6575 हैक्ट. में प्रार्थिया के घरेलू नाम गलखू पत्नि गोपाल के स्थान पर वास्तविक नाम मनभर पत्नि गोपाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर संशोधन कराया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोहनाबाद की वर्तमान स्थायी जमाबंदी 2075–78 के खाता संख्या 207 में वर्णित ख0न0 194 गलखू पत्नि गोपाल हि. 1/4 सा.पीपलू वगै. दर्ज रिकॉर्ड है। मजमे आम ग्राम मोहनाबाद एवं प्रार्थी के निवास स्थान पर ग्रामवासियो के अनुसार प्रार्थिया का सही नाम मनभर पत्नि गोपाल जाति बैरवा है एवं प्रार्थिया को मनभर उर्फ गलखू पत्नि गोपाल दोनो ही नामो से जाना जाता है। मुताबिक प्रार्थिया के शपथ पत्र अनुसार प्रार्थिया को गलखू एवं मनभर दोनो ही नामो से जाना जाता है। मुताबिक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पीपलू के अनुसार प्रार्थिया का नाम मनभर उर्फ गलखू पत्नि गोपाल जाति बैरवा दोनो ही नामो से जाना जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 194 रकबा 0.6575 हैक्ट. वाके ग्राम मोहनाबाद में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थिया का घरेलू नाम गलखू दर्ज है, जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम मनभर देवी है, जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थिया की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के गलत नाम गलखू पत्नि गोपाल के स्थान पर मनभर देवी पत्नि गोपाल दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थिया का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड सभी में मनभर नाम ही दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम गलखू दर्ज होने से उसे के.सी.सी. बनाने, सरकारी सहायताओ से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थिया का घरेलू नाम गलखू है और वास्तविक नाम मनभर है। दोनो ही नामो से प्रार्थिया को जाना व पहचाना जाता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थनां पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मोहनाबाद के राजस्व रिकॉर्ड में ख0न0 194 रकबा 0.6575 हैक्ट. में प्रार्थिया के घरेलू नाम गलखू पत्नि गोपाल के स्थान पर वास्तविक नाम मनभर पत्नि गोपाल दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मोहनाबाद की वर्तमान स्थायी जमाबंदी 2075–78 के खाता संख्या 207 में वर्णित ख0न0 194 गलखू पत्नि गोपाल हि. 1/4 सा.पीपलू वगै. दर्ज रिकॉर्ड है। मजमे आम ग्राम मोहनाबाद एवं प्रार्थी के निवास स्थान पर ग्रामवासियो के अनुसार प्रार्थिया का सही नाम मनभर पत्नि गोपाल जाति बैरवा है एवं प्रार्थिया को मनभर उर्फ गलखू पत्नि गोपाल दोनो ही नामो से जाना जाता है। मुताबिक प्रार्थिया के शपथ पत्र अनुसार प्रार्थिया को गलखू एवं मनभर दोनो ही

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

नामो से जाना जाता है। मुताबिक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पीपलू के अनुसार प्रार्थिया का नाम मनभर उर्फ गलखू पत्नि गोपाल जाति बैरवा दोनो ही नामो से जाना जाता है।

कार्यालय ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 12.07.2024 व 03.09.2024 अनुसार गलखू देवी पत्नि गोपाल बैरवा निवासी ग्राम पीपलू व मनभर देवी पत्नि गोपाल बैरवा निवासी पीपलू उक्त दोनो नामो से एक ही महिला ही है। इस महिला को दोनो नामो से जाना जाता है। मनभर ही गलखू है। इस के दोनो नाम है।

हमने पत्रावली व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, राजस्थान के तहत् जारी जॉब कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत पीपलू द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया सही नाम मनभर देवी है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 194 रकबा 0.6575 हैक्ट. में प्रार्थिया का नाम गलखू पत्नि गोपाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के त्रुटीपूर्ण नाम **गलखू पत्नि गोपाल** के स्थान पर **मनभर देवी पत्नि गोपाल** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
(टोंक) (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)